


Full Title of the Project: "Diversion of 32.3264 hectare Forest Land for Development of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12, in the state of Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/29812/2017

Date of Proposal: 09.06.2018

UNDERTAKING FOR CA LAND (Non Forest Land)

I/We **Rajesh Modi, Project Director (P.P.P), Public Works Department, Ajmer** hereby, undertake that CA land allotment (NFL) is under process in lieu of the forest area diverted for "**Development of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12, in the state of Rajasthan**" and we will submit the land allotment letter as well as required maps/kml before part II processing.


(राजेश मोदी)
परियोजना निदेशक (पी. पी. पी.)
सा. नि. वि. अजमेर

Place: Ajmer
Date: 24/11/2020

Signature of User Agency
with Office Seal

Counter signed by:-
Divisional Forests Officer
Bundi Forest Division
Office Seal _____

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2020/ 7700

दिनांक : 16.12.2020

निमित्त:-

परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0)
सा0नि0वि0
अजमेर।

विषय:- Submission of document for seeking prior approval of forest case proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017 in respect Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आप प्रस्तावित Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12. सडक में आर0ओ0डब्लू0 सहित आने वाले वृक्षों की मौके पर पृथक-पृथक पातन एवं छटाई योग्य वृक्षों की मार्किंग कर क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबी से संपर्क कर सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें प्रस्तावित सडक में आने वाले वृक्षों की मौके पर पृथक-पृथक पातन एवं छगाई योग्य वृक्षों की गणना प्रजातिवार, लम्बाई एवं गर्तवार का स्पष्ट उल्लेख हो, भेजना सुनिश्चित करे ताकि उक्त प्रकरण में पार्ट-2 फोरेस्ट क्लीरेयंस पर अपलोड करते समय पेडो का प्रजातिवार विवरण ऑनलाइन किया जा सके। साथ ही हार्डकॉपी में आप द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र 32.3264 एवं ऑनलाइन में क्षेत्रफल 33.7656 हैं उल्लेखित किया गया हैं, उक्त भिन्नता का भी कारण स्पष्ट करें। प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि आवंटन हेतु भी आप द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया हैं। जबकि ऑनलाइन पार्ट-11 की पूर्ति हेतु गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं भूमि उपर्युक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं। अतः आप उक्त पूर्ति पश्चात प्रस्ताव कार्यालय स्तर पर अग्रोषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(सुरेश मिश्रा)

उप वन संरक्षक

बून्दी

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2020/ 7702

दिनांक : 16.12.2020

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबी को दी जाकर लेख हैं कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित सडक की अस्थायी मार्किंग के उपरांत पृथक-पृथक पातन एवं छगाई योग्य पेडो की गणना किरम वाइज एवं गर्तवार कर प्रमाणित प्रतिलिपि भिजवाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करें कि पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि में विकास कार्य हुआ हैं या नहीं। यदि विकास कार्य हुआ हैं तो मॉडल वाइज करवाये गये कार्य की अनुमानित लागत भी भिजवाना सुनिश्चित करे।

(सुरेश मिश्रा)

उप वन संरक्षक

बून्दी